कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय–आदेश ::–

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा 2016) राजनीति विज्ञान, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल–12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल–12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रस	पुराना चयन वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया चयन वर्ग	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	sbcm	0	obcm	1091	बलबीर गुर्जर–मोरठ, मावली, उदयपुर	13-07-1987	17-06-2017	17-06-2019
2	sbcm	0	obcm	1176	हरिपूजन गुर्जर–खरताणा, मावली, उदयपुर	01-07-1988	21-06-2017	21-06-2019

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695–4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306–14310/2017 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परिक्षा–2015 विषय राजनीति विज्ञान में दिनांक 30.07.2018 को नवीनतम परिणाम जारी किया गया। उक्त दोनों अभ्यर्थी जो पूर्व में एस.बी.सी. वर्ग के छाया पदों के विरूद्ध चयनित होने के कारण उनकी नियुक्ति इस शर्त ''उक्त नियुक्तियां' पूर्णतया अस्थाई (temporary) आधार पर रहेगी एवं नियुक्त संबंधित अभ्यर्थी स्थाईकरण (confirmation)का पात्र नही होगा'' के अधीन थी। नवीनतम परिणाम में उक्त दोनो अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग में चयनित होने के कारण उक्त शर्त को प्रत्याहारित किया जाता है।'

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमाकः–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/राजनीति विज्ञान/पीएससी–15/स्थाईकरण/2019 दिनांकः– 17-09-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ।
2–उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
3–संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
4–संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
5–संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6–संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
7–अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
8–सिस्टम एनेलैस्टिट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।
9–निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)